न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री छगन लाल गोयल, आर.ए.एस.

एफ एस प्रकरण संख्या 13/2018

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्यें जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी
हर्षद साबू पुत्र राजेश साबू (एफ बी ओ एवं विक्रेता), मै0 महेश ट्रेडर्स, काबरों की पोल के पास, पीपाड़सिटी, जोधपुर। निवासी– पिपली वास, पीपाड़ सिटी, जोधपुर।

–:आदेश :– दिनांक :– 17.07.2018

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 19.10.2017 को श्री रेवन्त सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी फर्म – मै. महेश ट्रेडर्स, काबरों की पोल के पास, पीपाडसिटी, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (कृष्णा ब्रांड) आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त रिफाइंड सोयाबीन तेल (कृष्णा ब्रांड) को आठ लीटर वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 640/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।

खरीदशुदा रिफाइंड सोयाबीन तेल (कृष्णा ब्रांड) के 2 लीटर के चार जरीकन पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम– 1667 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम– 1667 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम– 1667 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त

कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।

जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि रिफाइंड सोयाबीन तेल (कृष्णा ब्रांड) के चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1667 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट एलएस 1130/एक्ट/2017/1131 दिनांक 29.11.2017 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम– 1667 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा प्रकरण पेश करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने बाबत् लिखा गया, प्रति प्रस्तुत की गयी।

अप्रार्थी से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्राथी को सुना गया, अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा रिफाइंड सोयाबीन तेल (कृष्णा ब्रांड) का सैम्पल लिया गया था, मैने उक्त तेल पीपाड़ सिटी से ही खरीद था, जिसका बिल मुझे नही दिया गया। इस सील बन्द तेल में मेरे द्वारा कोई मिलावट नही की गई थी । अतः कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

हमने प्रकरण में प्रार्थी विभागीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्या चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी जोधपुर द्वारा प्रस्तुत परिवाद का अध्ययन किया एवं अप्रार्थी हर्षद साबू को भी सुना। इस प्रकरण में यह तथ्यात्मक स्थिति है कि अप्रार्थी हर्षद साबू, मैसर्स महेश ट्रैडर्स काबरो की पोल के पास, पीपाड़ सिटी, जोधपुर दिनांक 19.10.2017 को वक्त जांच के दौरान खाद्य पदार्थ रिफाइंड सोयाबीन तेल (कृष्णा ब्रांड) दो लीटर के 80 पैकेट विक्रय हेतु रखा हुआ था। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर का शक होने पर इसकी जांच हेतु सैम्पल लिए गए, जो पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी, जोधपुर, राजस्थान को भेजा गया था, उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 29.11.2017 के अनुसार "sub-standard as it gives negative test for Vitamin A" का होना पाया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लघन किया है जो कि धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माना योग्य अपराध है। अधिनियम की मंशा अनुरूप लोक स्वास्थय की सुरक्षा को सुनिश्चित करना इस न्यायालय का उद्देश्य है।

पत्रावली, एफएसओ की रिपोर्ट, एफएसओ के इस्तगासे तथा पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी की रिपोर्ट क्रमांक 1131 दिनांक 29.11.2017 का अवलोकन किया । मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) एवं धारा 51 का दोषी हैं। अप्राथी पर शास्ती रूपये 20,000/– अक्षरे रूपये बीस हजार की आरोपित की जाती हैं अप्राथी हर्षद साबू पुत्र राजेश साबू उपरोक्त शास्ती राशि निर्णय के एक माह के अंदर–अंदर निर्धारित मद में जमा करवाकर रसीद प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17.07.2018 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।

प्रतिलिपीः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–
क्रमांकः कोर्ट/एडीएम(प्रथम)/2018/ दिनांक :–
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज0, जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर।
3. हर्षद साबू पुत्र राजेश साबू, मै0 महेश ट्रेडर्स, काबरों की पोल के पास, पीपाड़सिटी, जोधपुर।
   निवासी– पिपली वास, पीपाड़ सिटी, जोधपुर।

(छगन लाल गोयल)
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एंव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर।